राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सुभाषचन्द बनाम फूलचन्द हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/11/25	1403/2025 पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित	रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित	अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया	अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 07/11/2025 को पेश हो		
07/11/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 7 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का रेस्पो. संख्या 8 लगायत 9 के विरुद्ध पेश करे हुये निवेदन किया कि वाके ग्राम चन्दलाई तहसील चाकसू, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 1983 रकबा 0.4100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1984 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1988 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर.2018 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2019 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2020 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2021 रकबा 0.0600 हैक्टेयर किता 07 कुल रकबा 1.12 हैक्टेयर है, जों राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण व स्व. भौरी देवी पत्नी लाला के नाम प्रत्येक का हिस्सा 1/6 दर्ज है तथा भौरी देवी का देहान्त हो चुका है तथा वादीगण ने वाद में सजरा खानदान पेश किया	वाद में वर्णित आराजी पूर्व में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता लाला के नाम दर्ज थी किन्तु उक्त आराजी सयुक्त परिवार की आराजी भूमि है जिसके साबिक खसरा नम्बर 868, 870, 871 है	वादग्रस्त आराजी को वादी के दादा भैरू पुत्र गणेश ने दिनांक 28/01/1960 को क्रय किया था तब पुरा परिवार सयुक्त परिवार था	काना, छोटू, लाला एक ही सयुक्त परिवार में रहते थे	लाला सबसे बड़ा भाई था, जो परिवार का कर्ताखान था	इस कारण भैरू ने वादग्रस्त आराजी का विक्रय पत्र लाला के नाम करवा दिया था, जबकि भैरू ने ही सयुक्त परिवार की आय से विक्रय पत्र की राशि अदा की थी	उक्त आराजी सयुक्त परिवार की आय से क्रय किये जाने से उक्त आराजी छोटू व काना का भी बराबर हक़ हिस्सा था तथा वाद में अनुतोष चाहा कि प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 2 व भौरी देवी पत्नी लाला का राजस्व रिकार्ड में प्रत्येक का हिस्सा मौके पर 1/6 विलोपित कर उसके स्थान पर वादी संख्या 1 लगा. 3 को 1/3 हिस्से तथा वादी संख्या 4 लगायत 7 को 1/3 हिस्से का दर हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये	तत्पश्चात प्रतिवादीगण की तलबी की डाक रसीदे पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को इन्तजार जवाब हेतु नियत किया		

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सुभाषचन्द बनाम फूलचन्द हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तारीख हुक्म में जारी हुए

गया एवं तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष द्वारा आदेशिका दिनांक 13/06/2024 अंकित करते हुये वादी की और से अधिवक्ता श्री भगवान सहाय यादव ने वकालतनामा पेश किया एवं प्रतिवादीगण को जारी किये गये नोटिस को एक माह से अधिक हो जाने का कारण अंकित कर उनकी तामील सम्यक होना मानते हुये तनकियात कायम किये गये | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26/07/2024 को तनकीवार अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करते हुये वादीगण का वाद डिक्री फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई | जिस पर रेस्पोडेन्ट्स के बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर अपीलार्थी द्वारा अपनी लिखित बहस पेश की गयी एवं अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया |

अधिवक्ता अपीलार्थी की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किये जाने से अपीलार्थी के कथन उचित प्रतीत होती है कि लाला पुत्र भैरू द्वारा प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 870, 871, 872 कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा में से अपने 1/2 हिस्से की खातेदारी भूमि में से 1 बीघा भूमि अर्थात 3025 वर्गगज को उपखण्ड अधिकारी जयपुर के आदेश क्रमांक सम/5068-7 दिनांक 18/10/1995 के द्वारा कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवा लिया गया था, जिससे उक्त 3025 वर्गगज भूमि कृषि भूमि नही रही थी तथा उक्त संपरिवर्तन भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बैचान कर दिया गया एवं इसके उपरान्त अग्रिम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के निष्पादन उपरान्त अपीलार्थी द्वारा उक्त संपरिवर्तन भूमि में से 3025 वर्गगज भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया गया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त भूमि में से 3025 वर्गगज भूमि के संपरिवर्तन होने के तथ्य का संज्ञान लिये बगैर एवं संपरिवर्तन भूमि के विधिक क्रेता को पक्षकार बना कर सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटी किया जाना जाहिर होता है | अत: ऐसी स्थिति में उच्चतर न्यायालयों द्वारा विभिन्न निर्णयों के माध्यम से प्रतिपादित सिद्धान्तों के अध्ययधीन एवं उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाना उचित समझा जाता है | अत: अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26/07/2024 को अपीलार्थी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सुभाषचन्द बनाम फूलचन्द हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सुभाषचन्द पुत्र मदनलाल शर्मा द्वारा क्रय की गयी प्रश्नाधीन भूमि में से संपरिवर्तन भूमि अर्थात 3025 वर्गगज तक निरस्त किया जाता है तथा प्रश्नगत भूमि में से संपरिवर्तन 3025 वर्गगज भूमि का पृथक से राजस्व रिकार्ड में खाता कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर